

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
7/19	188 RTI	पाल्पा	छबड़ा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
31240111		बनाम	31240111

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
2/19	<p>वकील द्वारा एक न्यायालय अधिनियम धारा 188 RTI विरुद्ध न्यायालय के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सचिवता का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जर्न सम्मन 11/3/19 को पेश हो। तलब कर प्रकरण दिनांक 13/2/19</p>	
13/2/19	<p>आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 11/3/19 को पेश हो।</p> <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
11/3/19	<p>आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 9/4/19 को पेश हो।</p> <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
9/4/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील द्वारा उपस्थित-प्रतिवादी जनों के वाद तमिल सभ्य भारत की वरुण सुल्तान के अनुपस्थित। प्रति उक्त वाद के विशुद्ध सचता का कार्य वादी की जाती है। वाद के साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 14/5/19 को पेश हो।</p>	
14/5/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील द्वारा उपस्थित। साक्ष्य वादी उपस्थित नहीं सभ्य-वादा है वाद के साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 11/6/19 को पेश हो।</p>	

20

आज पीएमसीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में बिनांक 13/01/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (बारा)

13/01/21

पत्रावली पेश हुई। वकूलाए परीक्षित उपस्थित। कक्ष नहीं है। सभा - पाइ है करते कक्ष पत्रावली दिने क 18/01/21 को पेश हो।

18/01/21

पत्रावली पेश हुई। वकूलाए परीक्षित उपस्थित। वकील प्रतिवादी कत प-5 को ओर से प्रार्थना पत्र 09/01/21 वरा 15/ CPC पेश किया प्रति वकील प्रार्थना के दी जावे। करते प्रवेश प्रोपस पत्रावली दिने क 17/01/21 को पेश हो।

17/01/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। तीन बार आवाज लग गई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रमाण अथवा दायरी अदालत पेश की जाइ किता जाता है। पत्रावली पेशाल सुमार होकर दायर दफतर हो।